FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

हरचरण सिंह **बनाम** राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट, प्रकरण संख्या ५०२ सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/569

मेल क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.2025	प्रार्थी हरचरण सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 2, चक 1 एन केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 2968 दिनांक 10.11.2025 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 1 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 75/58 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, ड्राईविंग लाइसेंस की छायाप्रति, शपथ पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है, कि प्रार्थी के द्वारा राजस्व ग्राम 1 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 75/58 में अंकित नाम हरचरण सिंह उर्फ चरण सिंह पुत्र प्रताप सिंह के स्थान पर हरचरण सिंह पुत्र प्रताप सिंह दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक प्रार्थी के नाम में उर्फ चरण सिंह का अंकन उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी डिक्री मुकदमा नम्बर 62 सन् 2008, दिनांक 06.4.2010 किया गया है। प्रार्थी जमाबंदी में उर्फ चरण सिंह को हटवाना चाहता है। लिहाजा प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में न्यायालय हाजा द्वारा जारी डिक्री दिनांक 06.04.2010 से किया गया है। प्रार्थी डिक्री दिनांक 06.04.2010 की अपील करने के लिए स्वतंत्र है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर व प्रस्तुत दस्तावेजात, के अनुसार भली-भांति साबित नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	